न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –28/2011 जिला सीकर

1. माडूराम (मृतक) पुत्र रामनाथ जरिये –
1/1 सुन्दर देवी पत्नी माडूराम
1/2 सुरेश पुत्र माडूराम
1/3 विक्रम पुत्र माडूराम
जाति अहीर, निवासी सिरोही , तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
1/4 सुमन पुत्री माडूराम पत्नी सांवरमल, जाति अहीर, निवासी तिवाडी का बास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
2. रामसिंह पुत्र रामनाथ, जाति अहीर, निवासी सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्टान

बनाम

1. बन्ना पुत्र गेंदाराम (मृतक) जरिये :–
1/1 धापली देवी पत्नी बन्ना
1/2 जयराम पुत्र बन्ना (मृतक) जरिये –
1/2/1 राजेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र जयराम
1/2/2 अंकित पुत्र जयराम
1/2/3 विमला पत्नी जयराम
जाति अहीर, निवासी सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
1/2/4 माया पुत्री जयराम पत्नी आशीष
1/2/5 अंजू पुत्री जयराम पत्नी दशरथ
जाति अहीर (यादव), निवासी नौरपाना पाटन, उप तहसील पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
1/3 सुमेर पुत्र बन्ना जाति अहीर निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।
1/4 सुण्डी देवी पुत्री बन्ना पत्नी जगदीश प्रसाद ।
1/5 बनारसी देवी पुत्री बन्ना पत्नी सांवरमल, जाति अहीर (यादव), निवासी ढाणी तेजावाली सैफरा गुवारा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू ।
1/6 संतोष पुत्री बन्ना पत्नी कैलाश, जाति अहीर (यादव), निवासी सिरोड नया नगर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुंनू ।
2. रिछपाल उर्फ पंडा पुत्र गेंदाराम (मृतक) जरिये :–
2/1 शांति देवी पत्नी रिछपाल
2/2 पप्पू (मृतक) जरिये :–
2/2/1 ग्यारसी पत्नी पप्पू
2/2/2 संजय पुत्र पप्पू
2/2/3 राजू पुत्र पप्पू
2/2/4 वीरेन्द्र पुत्र पप्पू
2/3 महावीर पुत्र रिछपाल
2/4 प्रकाश पुत्र रिछपाल
2/5 नरेश पुत्र रिछपाल
2/6 छोटूराम पुत्र रिछपाल
जाति अहीर निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

2/7 विमला पुत्री रिछपाल पत्नी जगमाल, जाति अहीर (यादव) , निवासी होशियार सिंह की गली के पास, बालाजी नगर, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

2/8 कमला पुत्री रिछपाल पत्नी सत्यपाल सिंह, जाति अहीर (यादव), निवासी ढाणी चोबारों वाली सैफरा गुवारा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुंनू ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 29.3.2001

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार

निर्णय

दिनांक– 19.6.2018

यह प्रकरण निगरानी/एल.आर./5523/03/ जिला सीकर उनवानी बन्ना राम बनाम मांडू में न्यायालय राजस्व मण्डल , राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23 मार्च, 2011 पारित कर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का आदेश दिनांक 23.9.2003 अपास्त करते हुये प्रकरण इस न्यायालय को प्रस्तुत अपील पर पुनः सुस्पष्ट एवं सकारण विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अपील माडूराम द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.3.2001 के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की थी । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1418 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा (3.78 हैक्टेयर) का खातेदार अपीलान्ट का पिता रामनाथ एवं आराजी खसरा नम्बर 1032, 1033, 1036, 1037, 1044, 1050 कुल किता 6 कुल रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा (5.83 हैक्टेयर) के खातेदार अपीलान्ट के पिता रामनाथ तथा अपीलान्ट के चाचा झाबर, बन्ना, रिछपाल थे । जिनमें से खातेदार रामनाथ के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 244 ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 2.8.1966 को अपीलान्ट मांडूराम व रामसिंह पुत्रान रामनाथ के नाम स्वीकार किया गया था, जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट बन्ना द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष दिनांक 20.11.97 को करीबन 31 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2001 द्वारा मृतक रामनाथ के रेस्पोंडेन्ट पुत्र न होकर झाबर के पुत्र होने तथा इन्होंने गलत रूप से अपने आपको स्व. रामनाथ का पुत्र बताते हुये नामंतरकरण संख्या 244 स्वीकार कराने को अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य मानते हुये तथा वादग्रस्त नामांतरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य होने के कारण इस मामले में लिमिटेशन लागू नहीं होना मानते हुये नामांतरकरण संख्या 244 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को स्वर्गीय रामनाथ के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण फैसल करने हेतु रिमाण्ड किया था । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट मांडूराम द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 31.10.2002 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये अपीलान्ट्स के हक में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 2.8.66 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की थी जिस पर इस न्यायालय ने

माडूराम की द्वितीय अपील पर निर्णय दिनांक 23.9.2003 में नामांतरकरण को प्रारम्भ से ही शून्य होना नहीं मानते हुये मियाद सीमा लागू होना माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अपील 31 वर्ष से भी ज्यादा अवधि गुजरने के पश्चात् प्रस्तुत होना एवं इतने वर्ष तक रेस्पोंडेन्ट को इस नामांतरकरण की जानकारी नहीं होना असम्भव है जबकि रेस्पोंडेन्ट्स का भी इस आराजी में हिस्सा दर्ज था । रेस्पोंडेन्ट्स ने मियाद को कन्डोन किये जाने हेतु कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये जिससे अपील में हुई 31 वर्ष की अवधि को कन्डोन किया जा सके । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में हुये विलम्ब को सही रूप से निर्णित नहीं करके मैरिट्स का अवलोकन कर निर्णय पारित करने में त्रुटि करने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित नहीं ठहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 29.3.2001 निरस्त किया गया था ।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23.9.2003 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट बन्नाराम द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 23.3.2011 द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.9.2003 अपास्त किया गया एवं प्रकरण इस न्यायालय को अपील पर पुनः सुस्पष्ट एवं सकारण विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है ।

प्रकरण में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रामनाथ की मृत्यु 1965 में होने के बाद रामनाथ की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट माडूराम व रामसिंह के नाम रेस्पोडेन्ट बन्ना राम ने ही ग्रम पंचायत से स्वीकृत कराया था । महादेव व हरसहाय ने शपथ पत्र में अंकित किया था कि बन्नाराम पुत्र श्री गीदाराम यादव निवासी ढाणी केसरडी तन सिरोही ने अपने भाई रामनाथ की मृत्यु पर उसके लडके माडूराम व रामसिंह के नाम स्व. रामनाथ की खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण उनके सामने पंचायत में दर्ज कवाया था । अपीलान्ट्स की मॉ ने रामनाथ के फौत होने के पश्चात् चाचा झाबरमल का चूडा पहन लिया था। उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट बन्ना ग्रम पंचायत का पंच रहा है एवं परिवार में अपीलान्ट्स का चाचा है जिसके द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील 31 वर्ष के पश्चात् पेश की थी तथा विलम्ब का कारण नामांतरकरण की जानकारी पटवारी हल्का से होना अंकित किया था । यह मानने योग्य नहीं है कि ग्रम पंचायत के पंच एवं परिवार में भाई को भाई की विरासत के नामांतरकरण का ज्ञान 31 वर्ष तक नहीं हो । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत ने सर्वसम्मति से अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया है, जिसे प्रारम्भ से ही शून्य नहीं कहा जा सकता । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दू है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट की अपील निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी स्पष्ट एवं संतोषजनक नहीं था । पटवारी से नामांतरकरण की जानकारी होना अंकित किया था, लेकिन न तो पटवारी का शपथ पत्र पेश किया गया और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से बिना किसी विधिक कारण के प्रश्नगत नामांतरकरण को शून्य होने के कारण प्रकरण में मियाद लागू नहीं होना मानते हुये नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को रिमाण्ड करने में विधिक भूल की है । न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 23.9.2003 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 29.3.2001 को उचित नहीं मानते हुये अपीलान्ट

की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 29.3.2001 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार रामनाथ था । अपीलान्ट्स मांडूराम व रामसिंह मृतक खातेदार रामनाथ के पुत्र नहीं होकर झाबर के पुत्र है जिसके प्रमाण स्वरूप राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिरोही की जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार 15.8.66 है तथा इनके पिता का नाम झाबर दर्ज है । इतना ही नहीं मतदाता सूची में भी इनके पिता का नाम झाबर दर्ज है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स ने एक दावा इस्तकरारहक , विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलान्ट्स के अधिकारों का निर्धारण होना है । प्रश्नगत नामांतरकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने से उसे चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेन्ट की अपील पर प्रश्नगत नामांतरकरण को शून्य होने से विलम्ब लागू नहीं होना मानते हुये नामांतरकरण खारिज किया है तथा रामनाथ के वारिसों की जॉच कर नियमानुसर नामांतरकरण फैसल करने हेतु तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार रामनाथ की विरासत के नामांतरकरण का है , जो अपीलान्ट्स के नाम ग्रम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है, जिसके 31 वर्ष बाद मृतक रामनाथ के भाई एवं अपीलान्ट के चाचा बन्ना राम की अपील में उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2001 द्वारा मृतक रामनाथ के रेस्पोंडेन्ट पुत्र न होकर झाबर के पुत्र होने तथा इन्होंने गलत रूप से अपने आपको स्व. रामनाथ का पुत्र बताते हुये नामंतरकरण संख्या 244 स्वीकार कराने को अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य मानते हुये तथा वादग्रस्त नामांतरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य होने के कारण इस मामले में लिमिटेशन लागू नहीं होना मानते हुये नामांतरकरण संख्या 244 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को स्वर्गीय रामनाथ के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण फैसल करने हेतु रिमाण्ड किया था ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट मांडूराम की द्वितीय अपील न्यायालय अति.सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 23.9.2003 द्वारा नामांतरकरण को प्रारम्भ से ही शून्य होना नहीं मानते हुये मियाद सीमा लागू होना माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अपील 31 वर्ष से भी ज्यादा अवधि गुजरने के पश्चात् प्रस्तुत होना एवं इतने वर्ष तक रेस्पोंडेन्ट को इस नामांतरकरण की जानकारी नहीं होना असम्भव है जबकि रेस्पोंडेन्ट्स का भी इस आराजी में हिस्सा दर्ज था । रेस्पोंडेन्ट्स ने मियाद को कन्डोन किये जानक हेतु कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये जिससे अपील में हुई 31 वर्ष की अवधि को कन्डोन किया जा सके । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में हुये विलम्ब को सही रूप से निर्णित नहीं करके मैरिट्स का अवलोकन कर निर्णय पारित करने में त्रुटि करने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित नहीं ठहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 29.3.2001 निरस्त किया गया ।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23.9.2003 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट बन्नाराम की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.3.2011 द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.9.2003

अपास्त किया गया एवं प्रकरण इस न्यायालय को अपील पर पुनः सुस्पष्ट एवं सकारण विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार रामनाथ की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 244 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2.8.66 को माडूराम व रामसिंह पुत्र रामनाथ के नाम स्वीकार किया है । रेस्पोंडेन्ट्स खातेदार रामनाथ को लॉऔलाद फौत होना तथा माडूराम व रामसिंह को रामनाथ के भाई झाबर के पुत्र होना बताते हैं । प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिरोही (सीकर) द्वारा दिनांक 18.11.02 एवं 14.11.2002 को जारी प्रमाण पत्रों में माडूराम पुत्र झाबल मल एवं रामसिंह पुत्र झाबरमल अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत सिरोही ने अपने प्रमाण पत्र में रामनाथ के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होना अंकित किया है । नीमकाथाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988 एवं 1993 में भी माडू व रामसिंह को झाबर का पुत्र अंकित किया हुआ है । इससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार रामनाथ की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण बिना वारिसान की जॉच किये ग्राम पंचायत कौरम की बैठक में बिना प्रस्ताव लिये अकेले सरपंच द्वारा ही तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है , जो प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है तथा ऐसे शून्य आदेश को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं होती । प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये मृतक के विधिक वारिसानों विधिवत जॉच की जाकर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पुनः नामांतरकरण फैसल करने हेतु प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को प्रतिप्रेषित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.3.2001 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकण को प्रारम्भ से ही शुन्य होने से प्रकरण में लिमिटेशन लागू नहीं होना मानते हुये नामांतरकण संख्या 244 ग्राम सिरोही निरस्त किया जाकर प्रकरण स्व. रामनाथ के वारिसों की जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण फैसल करने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को प्रतिप्रेषित किया है। अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 29.3.2001 उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 19.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर